



# Venus Industrial Corporation Pvt. Ltd.

Plot No. 262 G & H, Sector-24, Faridabad, Haryana-121005 INDIA PH.: 0129-4062479  
E-mail : vicl2@venusind.com CIN - U34300DL1996PTC077781

Dated: 22.07.2023

~~Via Regd./ Speed Post~~

By HAND

To,

Mr. Kundan Sharma,  
S/o Sh. Ganga Saran,  
Designation-Die Setter  
House No. 696, Nangla Enclave,  
Part-I, NIT, Faridabad (Haryana)

**विषय:** आपके पत्र दिनांक NIL के संदर्भ में।

श्रीमान जी,

हमारे आरोप पत्र दिनांक 19.07.2023 के संदर्भ में आपका उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ है जो कि यूनियन के लेटर पैड पर है तथा उक्त पत्र में यूनियन के सर्वश्री Shyam Babu, Harbir Singh, Gopali Singh, Suresh Chand, Mukesh Kumar आदि के भी हस्ताक्षर हैं। क्योंकि यह पत्र यूनियन के द्वारा लिखा गया है अतः इसे आपका व्यक्तिगत रूप से आरोप पत्र का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर आरोप पत्र दिनांक 19.07.2023 के संदर्भ में स्पष्टीकरण दें की क्यों ना आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यदि आप उपरोक्त दिए गए समय में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जाएगा की आपके पास अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के संदर्भ में कोई व्यक्तिगत रूप से

Page 1 of 2

22/7/23  
15:30

क देव कुमार अपने श्रमिकों को बाहर लेकर नहीं जाता तब तक ना तो हम काम करेंगे और ना किसी को करने देंगे।

आपके दुर्व्यवहार के कारण संस्था में करीब 20 मिनट सभी विभागों में कार्य बंद रहा जिसके कारण कंपनी को उत्पादन व करीब Rs. 1,00,000/- की वित्तीय हानि हुई और कंपनी का समय पर माल ना भेजने के कारण कंपनी की साख भी ग्राहकों के समक्ष कम हुई।

आपके द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्य गम्भीर दुराचरण की परिधि में आते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर लिखित में स्पष्टीकरण दे कि क्यों न आपके खिलाफ सख्त अनुशानात्मक कार्यवाही की जाए। यदि आप उपरोक्त दिए गए समय के अन्तर्गत लिखित में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जाएगा के आप अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसी परिस्थिति में प्रबंधक अपनी आगामी कार्यवाही करने के लिए पूर्णतया बाध्य होंगे।

चूंकि आरोप गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, इसलिए आपको तत्काल प्रभाव से मामले के निपटारे तक निलंबित कर दिया गया है।

For M/s. Venus Industrial Corporation Pvt. Ltd.

Mukesh Kathuria  
Director

प्रतिनिधि

1. Company Main Gate
2. Company Notice Board

an Sharma,  
anga Saran,  
ion-Die Setter, Press Shop  
No. 696, Nangla Enclave,  
NIT, Faridabad (Haryana)

र: आरोप पत्र व निलंबन पत्र

मान जी,

आपके खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाए जाते हैं:

- 1 दिनांक 15/7/2023 को आप जनरल पाली की ड्यूटी में थे जो प्रातः 8:30 AM से शाम 5:00 PM तक थी। समय करीब 10:10 AM पर टी ब्रेक खत्म होने के उपरान्त श्री जी मैनपावर कांटेक्टर के सुपरवाइजर देव कुमार अपने श्रमिकों को शॉप फ्लोर पर काम के बारे में समझा रहे थे तो आप अचानक वहां पर आ गए और देव कुमार को धमकाने लगे और कहने लगे कि "तेरी हिम्मत कैसे हुई शॉप फ्लोर पर आकर अपने श्रमिकों को समझाने की" और फिर आपने सभी कामगारों से मशीनें और काम बंद करवा दिया।
- 2 उसके बाद प्रातः करीब 10:15 बजे श्री एस एम पांडे, AGM HR, घटनास्थल/ शॉप फ्लोर पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उपस्थित सुपरवाइजर से काम बंद होने बाबत छान-बीन की। इतने में आपने करीब 25-30 वक्करों को लेकर श्री एस एम पांडे का घेराव कर लिया और चिल्ला-चिल्लाकर बोलने लगे की "कोई वक्कर महा हेलमेट नहीं लगाएगा और हम अपनी मज्जी से काम करेंगे और जो चाहेगा वह करेगा और कोई भी श्रमिक संबंधको द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेगा"।
- 3 तदीपरात श्री एस एम पांडे ने आपको व अन्य कामगारों को अपने अपने स्थान पर काम करने के लिए समझाया लेकिन आप आवेश में आ गए और चिल्लवाने लगे जब

क देव कुमार अपने श्रमिकों को बाहर लेकर नहीं जाता तब तक ना तो हम काम करेंगे और ना किसी को करने देंगे।

आपके दुर्व्यवहार के कारण संस्था में करीब 20 मिनट सभी विभागों में कार्य बंद रहा जिसके कारण कंपनी को उत्पादन व करीब Rs. 1,00,000/- की वित्तीय हानि हुई और कंपनी का समय पर माल ना भेजने के कारण कंपनी की साख भी ग्राहकों के समक्ष कम हुई।

आपके द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्य गम्भीर दुराचरण की परिधि में आते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर लिखित में स्पष्टीकरण दे कि क्यों न आपके खिलाफ सख्त अनुशानात्मक कार्यवाही की जाए। यदि आप उपरोक्त दिए गए समय के अन्तर्गत लिखित में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसी परिस्थिति में प्रबंधक अपनी आगामी कार्यवाही करने के लिए पूर्णतया बाध्य होंगे।

चूंकि आरोप गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, इसलिए आपको तत्काल प्रभाव से मामले के निपटारे तक निलंबित कर दिया गया है।

For M/s. Venus Industrial Corporation Pvt. Ltd.

Mukesh Kathuria  
Director

प्रतिनिधि

1. Company Main Gate
2. Company Notice Board